संख्या-126/2022/2470/22-2-2021-17(941)/2021

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2022*

विषय:-केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संतोष यादव पुत्र स्व0 श्रीलाल यादव, निवासी जनपद-प्रयागराज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे-5-दया0 बैठक-09-09-2021 दिनांक 27-10-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संतोष यादव पुत्र स्व0 श्रीलाल यादव, जो 389 कृष्णानगर, थाना-कीडगंज, जनपद-प्रयागराज का निवासी है। बंदी द्वारा तीन दिन पूर्व मेले में हुए विवाद के कारण दिनांक 10.09.2006 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम से मारकर श्रीनाथ साहू नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-353/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-02, इलाहाबाद के दण्डादेश आदेश दिनांक 05.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.05.2017 द्वारा यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 01.09.2021 तक 14 वर्ष, 11 माह, 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 04 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज ने बंदी द्वारा अपराध की संभावनाओं से इंकार नहीं किये जा सकने तथा मृतक के परिजनों व गवाहों में असंतोष व असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की उम्र (48) द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी संतोष यादव (बन्दी संख्या-76/2009) पुत्र स्व0 श्रीलाल यादव, निवासी जनपद-प्रयागराज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-126/2022/2470(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।